अध्याय–दो
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–।। (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ–साथ वन भू अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों

जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.1** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.1
क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

इकाईयों का प्रकार	संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

वन वृत्तों पर नियंत्रण हेतु वृत्तवार वृत्त प्रभारी की व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत मुख्यालय में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी आवंटित वन वृत्त के कार्यों का अनुश्रवण करते हैं एवं मुख्यालय स्तर पर वृत्त हेतु समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर है। क्षेत्रीय इकाईयों की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का विवरण **तालिका क्रमांक 1.2** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.2

क्षेत्रीय इकाइयों की नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	क्षेत्रीय इकाई का विवरण	नियंत्रण अधिकारी
1	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	वन परिक्षेत्र अधिकारी
2	परिक्षेत्र सहायक	
3	वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/वनमंडलाधिकारी (सामान्य/उत्पादन)
4	उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	
5	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/ वन मंडल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन) तथा संचालक वन विद्यालय	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
6	वन परिक्षेत्र अधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त
	सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)	
7	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर
8	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र., भोपाल
9	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) म.प्र., भोपाल
10	क्षेत्र संचालक/संचालक राष्ट्रीय उद्यान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय–समस्त) म.प्र., भोपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश, भोपाल

1.4.2 स्थापना

भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदों के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के भी दो पद स्वीकृत किये गये हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (फॉरेस्ट मैन्युअल) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजान) भारतीय वन सेवा की पदस्थिति का विवरण **तालिका क्रमांक 1.3** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.3
भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति
(01.12.2018 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव्ह रिजर्व
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	05	06	-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	24	-
मुख्य वन संरक्षक	51	43	-
वन संरक्षक	40	20	-
उप वन संरक्षक	59	65	-
कुल वरिष्ठ पद	**180**	**158**	-
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	11	-
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	45	-
प्रशिक्षण रिजर्व	06	-	-
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	12	12
अध्ययन अवकाश	-	01	-
निलंबित	-	01	-
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**	**228**	12

राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्यों में सहयोग करते हैं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त क्षेत्रीय कार्यो पर नियंत्रण रखते है। सेवा के लिये स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्व कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति **तालिका क्रमांक 1.4** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.4
राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(01.12.2018 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा 'अ'– विभाग में कार्यरत	359	282	77
	'ब'– प्रतिनियुक्ति पर	93	24	69
	योग	**452**	**306**	**146**

तालिका क्रमांक 1.5
राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति

(01.12.2018 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	20	06	14
2.	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3.	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	01	00
4.	प्रचार अधिकारी	01	01	00
5.	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	01	00
6.	उप संचालक, बजट/वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	03	03
7.	तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर	01	00	01
8.	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	02	00
10.	सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	10	10	00
	योग	**44**	**24**	**20**

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इनके कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** पर है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.6** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.6
अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति

(मार्च–2019 की स्थिति में)

क्रं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वनरक्षक	14024	12592	1432
2	वनपाल	4194	3101	1093
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	773	485
4	वन क्षेत्रपाल	1194	576	618
योग		**20670**	**17042**	**3628**

लिपिकीय सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.7** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.7
लिपिकीय सेवाओं की पदस्थिति

(मार्च–2019 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक ग्रेड–3	1487	1205	282
2	सहायक ग्रेड–2	379	270	109
3	लेखापाल	244	193	51
4	सहायक ग्रेड–1	192	101	91
5	लेखा अधीक्षक	75	49	26
6	अधीक्षक	35	18	17
7	वरिष्ठ निज सहायक	15	3	12
8	निज सहायक	45	25	20
9	शीघ्रलेखक	80	64	16
10	स्टेनो टायपिस्ट	57	23	34
11	मानचित्रकार	203	189	14
योग		**2812**	**2140**	**672**

चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.8 में** दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.8
चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की पदस्थिति

(मार्च–2019 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सुपरवाईजर	20	11	9
2	दफ्तरी	195	130	65
3	भृत्य/अर्दली/खलासी/ फर्रास	950	767	183
योग		**1165**	**908**	**257**

विविध

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.9** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.9
विविध पदों की पदस्थिति

(मार्च–2019 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	वाहन चालक	613	355	258
2	मुख्य महावत	14	02	12
3	महावत	35	13	22
4	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	31	18
योग		**711**	**401**	**310**

अनुकम्पा नियुक्ति

तालिका क्रमांक 1.10
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण

(मार्च–2019 की स्थिति में)

विवरण		वर्ष					
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
प्रकरण संख्या		281	258	109	40	138	319
निराकृत (नियुक्ति)		192	189	91	22	76	238
अमान्य प्रकरण		05	07	07	05	08	0
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	43	29	06	03	13	24
	प्रक्रियाधीन शासन/मुख्या. /वृत्त/वमंअ/आवेदक	41	33	05	10	41	57
	योग कुल लंबित	**84**	**62**	**11**	**13**	**54**	**81**

वर्ष 2018 में मुख्यालय स्तर से की गई कार्यवाही अनुसार जानकारी प्रेषित है। दिनांक 05.08.2018 से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/व.म.अ. को जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं।

दैनिक वेतन भोगी

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 7473 है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6712 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतन निर्धारण किया गया है।

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है जिसका विवरण **तालिका क्रमांक 1.11** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.11

लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

(माह अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक)

विभागीय जॉच, कारण बताओ सूचना पत्र एवं अपील प्रकरण

परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं कार्यपालिक कर्मचारी	पूर्व शेष	अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक निराकृत/शासन को प्रेषित प्रकरण	31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में लंबित प्रकरण
विभागीय जांच प्रकरण	54	07	61	21/17	23
कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण	18	01	19	10/1	08
अपील प्रकरण	104	25	129	26/29	74

तालिका क्रमांक 1.11 (अ)

विभागीय जॉच एवं कारण बताओ सूचना पत्र

राज्य वन सेवा	मई 2019 की स्थिति मे
विभागीय जांच प्रकरण	15
कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण	17

तालिका क्रमांक 1.11 (ब)

विभागीय जॉच एवं कारण बताओ सूचना पत्र

भारतीय वन सेवा	मई 2019 की स्थिति मे
विभागीय जांच प्रकरण	13
कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण	04

1.4.4 मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) संचालित हैं। मानव संसाधन विकास शाखा के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजनेत्तर एवं आयोजना बजट मदों से कुल रु. 1612.57 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से नियमित प्रशिक्षणों को प्राप्त कर भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों, सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपालों एवं वनरक्षकों के लिये वनमंडलों में क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि के दौरान आयोजित किये जाते हैं। इन क्षेत्रीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों व रुपरेखा को निर्धारित किया जाकर सभी वन वृत्तों एवं वनमंडलों को उपलब्ध कराए गये हैं। सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह के) को निम्नानुसार प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किये गये हैं **तालिका क्रमांक 1.12** में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक –1.12

वनरक्षक एवं वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय

क्रं.	प्रशिक्षण संस्थान	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित संख्या
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	77
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	81
3	वन विद्यालय, बैतूल	66
4	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	34
5	वन विद्यालय, झाबुआ	42
6	वन विद्यालय, लखनादौन	69
7	वन विद्यालय, शिवपुरी	81
8	वन विद्यालय,पचमढ़ी	37
9	वन विद्यालय, ताला	39
	योग–	**526**

प्रशिक्षण प्राप्त करते हुये प्रशिक्षाणार्थी

इन प्रषिक्षण शालाओं का उपयोग सीधी भर्ती के वन रक्षकों के प्रवर्तन प्रषिक्षण तथा पदोन्नत वन पालों के सेवा कालीन प्रषिक्षण देने में किया जा रहा है। इन शालाओं के प्रभारी पदों पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है। वे तालिका में दर्षित नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के प्रषासनिक नियन्त्रण में कार्य करते हैं। इन प्रषिक्षण शालाओं में भी प्रषिक्षण हेतु आवष्यक अधोसंरचना जैसे प्रशासनिक खण्ड, व्याख्यान कक्ष, क्रीड़ागन, छात्रावास इत्यादि उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त उप वन क्षेत्रपाल पद से पदोन्नत वनक्षेत्रपालों के लिये वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट में 6 माह का नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रदेश में सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये अनिवार्य अल्पकालीन (5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय) रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018—19 में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये 336 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नामांकित किया गया। इसके अतिरिक्त 16 वर्ष, 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों के संपूर्ण बैच को अल्पकालीन प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रमों के लिये नामांकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, Entension Education Instititue, Anand के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये भी नामांकित किया गया है, जिसमें लगभग 271 अधिकारियों को नामांकित किया गया है।

अधोसंरचना :

प्रदेश में वन विभाग के वनक्षेत्रपालों से लेकर वन रक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये 9 सुसज्जित वन विद्यालय (वन प्रशिक्षण केन्द्र) संचालित हैं। ये वन विद्यालय प्रदेश के प्रत्येक भाग में स्थित हैं ताकि प्रशिक्षण के लिये सुविधाजनक स्थिति निर्मित हो सके। वर्तमान में इन वन विद्यालयों में निम्नानुसार प्रशिक्षण क्षमता है जो **तालिका क्रमांक–1.13** मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.13
प्रदेश के वन विद्यालयों की प्रशिक्षण क्षमता

क्रं.	वन विद्यालय	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण क्षमता
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	वनरक्षक, वनपाल, वनक्षेत्रपाल	125
2	वन विद्यालय, अमरकंटक (जिला–अनूपपुर)	वनरक्षक, वनपाल	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	वनरक्षक, वनपाल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	वनरक्षक, वनपाल	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़ (जिला–रीवा)	वनरक्षक	80
6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनरक्षक, वनपाल	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (जिला–सिवनी)	वनरक्षक, वनपाल	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी (जिला–होशंगाबाद)	वनरक्षक, वनपाल	50
9	जैव विविधता प्रषिक्षण केन्द्र, ताला (जिला–उमरिया)	वनरक्षक, वनपाल	50

विभागीय परीक्षा :
सीधी भर्ती के राजपत्रित वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा

वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पूर्व में विभागीय परीक्षा नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाती थी। वर्ष 2018–19 में दिनांक 22–25 जनवरी 2019 को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की गई।

बाह्य परियोजना :

प्रदेश के 4 वन विद्यालयों– वन विद्यालय, शिवपुरी, वन विद्यालय, बैतूल, वन विद्यालय, अमरकंटक एवं राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (जिला–सिवनी) में इन प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण विषयवस्तु में सुधार के उद्‌देश्य से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जायका परियोजना निर्देशालय) के द्वारा कुल रु. 27.53 करोड़ की राशि अनुदान के रुप में प्रदाय की गई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वन विद्यालयों में फर्नीचरों एवं विभिन्न उपकरणों के क्रय इत्यादि के लिये कुल रु. 243.20 लाख की राशि अनुदान के रुप में प्रदाय की गई। उपरोक्त राशि की सहायता से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.4.5 नीति विश्लेषण

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया है। फॉरेस्ट मैन्युअल पुनरीक्षण का कार्य अन्तिम चरण पर है।

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर, 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है –

(1) **वन सुरक्षा समिति** : सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अन्तर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं।

(2) **ग्राम वन समिति** : बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण पुनः स्थापन किया जाना आवश्यक है।

(3) **ईको विकास समिति** : राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को ईको विकास समिति कहा जाता है।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

वन समितियों की कुल संख्या **15,228** है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण **तालिका क्रमांक–1.14** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.14
समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9650	37268 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4747	25904 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	831	3702 वर्ग किमी
योग–	**15228**	**66874 वर्ग किमी**

1 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण –

- **ग्राम वन नियम 2015** – म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 ग्राम वन नियम का प्रकाशन हुआ है, जिसके संदर्भ में म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2015 अधिसूचित ग्राम वनों का ग्राम वन समितियों द्वारा प्रबंधन हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत उज्जैन वन वृत्त की 10 समितियों को आवंटित 4004.71 हैक्टेयर आरक्षित वनों को ग्राम वन समितियों को प्रबंधन हेतु प्रदाय करने के प्रस्ताव म.प्र. शासन को प्रेषित किये गये हैं।

- **संरक्षित वन प्रबंधन नियम 2015** – म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 म.प्र. संरक्षित वन नियम का प्रकाशन हुआ है, जिसके संदर्भ में म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2015 संरक्षित वनों का ग्राम वन समितियों द्वारा प्रबंधन हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, रीवा, शहड़ोल, शिवपुरी एवं उज्जैन वन वृत्त की 81 समितियों को आवंटित 20832.180 हैक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

2 लाभांश वितरण –

(i) **बाँस का लाभांश** – प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत प्रतिशत वितरण किया जाता है। बांस का लाभांश का वितरण प्रदेश के 03 जिलों (बालाघाट, बैतूल एवं सिवनी) में किया जाता है।

(ii) **काष्ठ का लाभांश** – म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 03.09.2016 से काष्ठ लाभांश के शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाना है। काष्ठ का लाभांश का वितरण प्रदेश के 09 जिलों (बालाघाट, बैतूल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, डिंडौरी, मण्डला, खण्डवा एवं सिवनी) में किया जाता है। लाभांश वितरण की **तालिका क्रमांक–1.15** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.15

विगत 07 वर्षों के लाभांश वितरण का विवरण

लाभांश प्रदाय वर्ष	काष्ठ लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	बांस लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	कुल लाभांश (राशि रू. करोड़ में)
2012–13	24.13	8.76	32.89
2013–14	22.92	14.94	37.86
2014–15	20.43	18.27	38.70
2015–16	27.36	18.81	46.17
2016–17	35.94	3.28	39.22
2017–18	52.58	0.51	53.09
2018–19	19.18	0	19.18

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन –
राष्ट्रीय दृष्टि (National vision)

भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज** के आठ अंगों में एक अंक के रूप में नेशनल **मिशन फॉर ग्रीन इंडिया** संचालित किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य देश की जैविक संसाधनों एवं संबंधित आजीविकाओं को जलवायु परिवर्तन के खतरों से सुरक्षित किया जाना है। इस हेतु वनों का देश की पारिस्थितिकीय संवहनीयता, जैव विविधता संरक्षण, भोजन, जल एवं आजीविका सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है।

यह मिशन हरियाली के समग्र रूप को देखने क सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें वृक्षारोपण के सीमित दायरे के बाहर जाकर कार्बन प्रच्छादन (Carbon sequestration) के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना नियत है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से संभावित खतरों को कम करने के लिए परिदृश्य स्तर तक जैव विविधता विकास, इको सिस्टम पुनर्वास एवं स्थानीय समुदायों की आर्थिक सुरक्षा हेतु कार्य किया जाना है।

मिशन का लक्ष्य देश के 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आच्छादन बढ़ाया जाना वह 50 लाख हेक्टैयर वन क्षेत्र के गुणवत्ता में सुधार किया जाना प्रावधानित है। इस प्रकार मिशन के द्वारा 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इकोसिस्टम सर्विसेस सेवाओं में सुधार एवं वनों पर आश्रित 30 लाख परिवारों में सुधार एवं वर्ष 2020 तक 50 से 60 मिलियन टन कार्बन प्रच्छादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

मध्य प्रदेश की योजना

जलवायु परिवर्तन की महत्ता के मद्देनजर मध्यप्रदेश के द्वारा नेशलन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। इकाई द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर 5 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। इसमें प्रदेश के वनों को आठ विभिन्न लैंडस्केप (परिदृश्यों) में बांटा जा कर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं कम संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। विभिन्न लैंडस्केप (परिदृश्यों) का विवरण **परिशिष्ट क्रमांक–19** मे दर्शित है।

योजना के तहत 3,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पांच विभिन्न उप मिशनों के तहत उपचारित किया जाना प्रावधानित है। उपचार की कार्यवाही प्रदेश के 18 वन मंडलों के 122 मिली वाटर शेड के अंतग्रत 735 माइक्रो वाटरशैड के अंतर्गत की जाना है। इस हेतु 3,11,951 लाख रुपये की योजना केंद्र सरकार को प्रेषित की गई है, मूल रूप से योजना 2016–17 से 2020–21 तक क्रियांवित किया जाना प्रस्तावित थी। भारत सरकार की नेशनल एक्जीक्युटिव कांउसिल की तीसरी बैठक दिनांक 03.01.2018 को उक्त परियोजना की स्वीकृति रू. 3157.36 करोड़ रूपये प्राप्त हुई है।

ग्रीन इंडिया मिशन पर्सपेक्टिव प्लान का क्रियान्वयन

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ग्री. इं. मि. अतंर्गत भारत सरकार के स्वीकृती क्रमांक F.NO.9-11/2014/ GIM-MP दिनांक 10.09.18 से 41.80 करोड़ का APO स्वीकृत कर राशि रू. 1022.50 लाख प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किये गये है। ग्रीन इंडिया मिशन के उपचार हेतु चयनित 18 उपचार की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये जा चुके है।

1. केन्द्र शासन के आदेष क्रमांक MoEF & CC (NAEB) :F-2/2017/B-1 दिनांक 30–01–2018 के द्वारा ग्रीन इंडिया मिषन के क्रियान्वयन हेतु पूर्व से प्रचलित योजना राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Plan) को ग्रीन इंडिया मिषन के तहत समाहित किया गया है।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में शाखा–निगरानी एवं मूल्यांकन द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

शाखा के मुख्य कार्यः

1. प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु समस्त जानकारियां नियमित रूप से प्रविष्ट करने के लिए प्रभारी मुख्य वन संरक्षकों एवं वनमंडल अधिकारिओं को बारंबार उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना।
2. अनुश्रवण को प्रभावी बनाने एवं कार्यों के उचित अनुवर्तन हेतु पत्र व्यवहार के अतिरिक्त ईमेल, फ़ोन, Bulk Messaging Service आदि का उपयोग।
3. प्रणाली से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों जैसेः नवीन रिपोर्ट को जोड़ना, Technical Checks लगाना, वृक्षारोपण पंजीकरण को निरस्त करना आदि के निराकरण हेतु नियमित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा से समन्वय स्थापित रखना।
4. वीडियो कांफ्रेंस एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से वृक्षारोपण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास।
5. वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर विभाग को नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

शाखा द्वारा वर्ष 2018 में प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु किये गये प्रयासों से प्राप्त प्रगति के संक्षिप्त आंकड़ें निम्नानुसार **तालिका क्रमांक–1.16** मे दर्शित हैं।

तालिका क्रमांक–1.16

S.N.	Particular	January 2018	December 2018
1	Total Registered Plantations	18154	18371
2	Total Approved Plantations	15375	18220
3	Total Evaluated Plantations (Atleast Once)	9382	15217
4	Total Geo-Mapped Plantations	-	13081

1.4.9 प्रोजेक्ट

पृथ्वी के वातावरण में CO_2 एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में निरन्तर वृद्धि वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिये चिंता का विषय है। इस वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले मौसम परिवर्तन से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने एवं ध्रुव क्षेत्रों पर जमें हिमखण्ड पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मध्याप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित पारिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत देश के चौथे तथा मध्यप्रदेश के प्रथम कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना वर्ष 2012 में पश्चिम बैतूल वनमंडल जिला बैतूल में की गई थी। वर्ष 2017 में प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में की गई है तथा यह सुचारू रूप से कार्यरत है।

1.4.10 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

❖ मध्यप्रदेश के वनों की उत्पाादकता बढाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नानुसार 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त जिनमें 169 रोपणियां संचालित जो **तालिका क्रमांक–1.17** मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.17

क्र.	अ.वि.वृत्त	सम्मिलित जिलों का नाम	रोपणी संख्या
1.	भोपाल	भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ एवं विदिशा	17
2.	बैतूल	बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा	9
3.	ग्वालियर	ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर एवं श्योपुर	12
4.	इंदौर	इंदौर एवं देवास	10
5.	झाबुआ	झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर	12
6.	खंडवा	खंडवा, बडवानी, खरगौन, बडवाहा, सेंधवा एवं बुरहानपुर	20
7.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, मंडला एवं डिंडोरी	6
8.	रतलाम	रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर एवं नीमच	12
9.	सिवनी	सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट	32
10.	सागर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना	19
11.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया	20
		योग –	**169**

❖ रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/फलदार/औषधीय/लघु वनोपज/संकटापन्न/ विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किया जाता है।

तालिका क्रमांक–1.18

वर्षा ऋतु 2018 में पौधा निवर्तन

विभाग में	विभाग के बाहर	योग
389.00 लाख	152.00 लाख	541.63 लाख

तालिका क्रमांक–1.19

रोपणियों में पौधा तैयारी की प्रगति

वर्तमान में उपलब्ध	वर्ष 2019 के लिये पौध तैयारी	सागौन रूटशूट तैयारी	वर्ष 2020 के लिये पौध तैयारी
556 लाख पॉलि. में	182 लाख तैयारी प्रगति पर	210 लाख (100 व.वि.नि. से)	102 लाख तैयारी प्रगति पर

रोपणी

शहरी रोपणी जबलपुर में वर्मी कम्पोस्ट की तैयारी

- ❖ अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, इंदौर में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित। जहॉ उत्तम गुणवत्ता के बॉस एवं संकटापन्न प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है।
- ❖ अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वेल्यू एडेड वर्मी कम्पोस्ट तैयारी। रोपणियों में पौधा तैयारी हेतु उपयोग एवं विक्रय भी किया जा रहा है।
- ❖ रोपणियों के पौधों के ऑनलाईन संधारण हेतु नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। रोपणियों की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. स्थापित है।
- ❖ वर्ष 2018 में गैर वन क्षेत्र में पौधा विक्रय से राशि रू. 176.81 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- ❖ प्रमुख रोपणियों को ईको–टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास। वर्तमान में 9 रोपणियों में ईको पर्यटन विकसित किया जा चुका है।

तालिका क्रमांक–1.20

कैम्पा मद के अंतर्गत वित्त पोषित **''कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना''** प्रगति

वर्ष	कृषकों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या
2017	45382	102.00 लाख
2018	55000	130.00 लाख

तालिका क्रमांक–1.21

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की प्रगति

वर्ष	पौधे	वितरित अनुदान
2014	3.98 लाख	--
2015	8.04 लाख	0.52 लाख
2016	9.25 लाख	0.89 लाख
2017	9.17 लाख	0.84 लाख

तालिका क्रमांक–1.22

अध्ययन एवं अनुसंधान योजना की प्रगति –

संस्थान	प्रचलित अनुसंधान परियोजना
राज्य वन अनुसंधान संस्थान	4
ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान	7
अ0वि0 वृत्तों द्वारा लघु शोध कार्य	15

- ❖ लोकवानिकी योजना अंतर्गत वर्ष 2002 से 2018 तक प्रदेश में लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई।
- ❖ ''म0प्र0 वनांचल संदेश'' नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन – 8 संस्करण जारी ।

1.4.11 भू–प्रबंध

वन भूमि व्यपवर्तन

भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं:–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति निम्नानुसार **तालिका क्रमांक–1.23** पर दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.23

क्र.	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019
1	प्राप्त आवेदन	36	41	39	31	63	22
2	स्वीकृत प्रकरण	35	37	14	14	35	08
3	अस्वीकृत प्रकरण	–	03	07	07	–	–
4	विचाराधीन प्रकरण	225	206	206	224	67	34
	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	93	77	89	82	17	07
	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	132	129	117	142	50	27

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा **तालिका क्रमांक–1.24** के अनुसार हैः–

तालिका क्रमांक–1.24
उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन

क्र.	उपयोग	1980-1990		1991-2000		2001-2010		2011-2019		कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत		
1	सिंचाई	62797.147	31.010	6308.486	18.630	8949.552	48.18572	5010.421	22.113	83065.606	29.934
2	विद्युत	2566.964	1.268	487.02	1.438	2369.214	12.75620	2945.203	12.998	8368.401	3.017
3	खनिज	4581.68	2.262	5677.176	16.765	4079.098	21.96247	4729.949	20.875	19067.903	6.874
4	विविध	702.849	0.347	4757.334	14.049	3168.903	17.06185	4370.011	19.286	12999.097	4.625
5	रक्षा	12458.038	6.152	16632.64	49.118	6.27	0.03376	5602.87	24.728	34699.818	12.509
6	अतिक्रमण	119401.72	58.961	0	0	0	0	0	0	119401.72	43.042
TOTAL		202508.39	100	33862.656	100	18573.037	100	22658.454	100	277602.541	100

टीपः– भारत सरकार से आंकड़ों के मिलान के उपरान्त कुछ उपयोग के आंकड़ों में भिन्नता आई है, जिसके अनुसार इस तालिका में सुधार किया गया है।

विगत दशक में वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन सतत् रूप से कम हुआ है। वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात से अधिकतम (29.934 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन सिंचाई उपयोग हेतु किया गया है। 7 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कुल 63250.639 हेक्टेयर एवं 259 लघु सिंचाई परियोजनों में 19786.584 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हुआ है।

वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग अनुसार विवरण **परिशिष्ट–3** में संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वर्ष 2017–18 में स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट–4** में संलग्न है।

कच्चे मार्गों का उन्नयन

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 द्वारा वन क्षेत्र से गुजर रहे 1980 के पूर्व निर्मित कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

तालिका क्रमांक–1.25

	वर्ष 1980 से दिसम्बर 2014 तक		जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक		जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक		जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक		जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक		जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक	
	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2535	2513	179	141	45	45	38	38	47	47	07	07
मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	–	661	95	50	30	30	31	31	0	0	07	07
वर्ष 1980 के पूर्व की सड़कों का उन्नयन	–	–	–	22	88	88	19	19	20	20	30	30

1.4.12 कैम्पा (CAMPA)
(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

प्रतिकरात्मक वनरोपण

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। इन वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

वर्तमान में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 दिनांक 03.08.2016 का भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति रोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति रोपण, दाण्डिक क्षतिपूर्ति रोपण, केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण के दौरान स्थल विशेष परियोजना के अनुसार जमा की गई राशि ही तदानुसार उक्त कार्यों के लिये विमुक्त की जावेगी। उक्त अधिनियम दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील हो गया है।

इसी तारतम्य में प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम 2018 दिनांक 10.08.2018 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त नियमों में एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के व्यय के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैः–

- एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन पर व्यय।
- एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय।
- वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
- वाहन क्रय पर प्रतिबंध।
- चिडिया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/उन्नयन पर प्रतिबंध।
- ब्याज की 60 प्रतिशत राशि क्षतिपूर्ति रोपण/दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/ वन्यजीव प्रबंधन के मूल्यवृद्धि आदि पर व्यय।
- ब्याज की 40 प्रतिशत राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

तालिका क्रमांक–1.26

कैम्पा मद मे वर्षवार राशि का विवरण

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	दिल्ली के एड–हॉक कैम्पा मे जमा राशि	म.प्र. को प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2007-2008	34884.78	–	–
2	2008-2009	5537.43	–	–
3	2008-2009	9858.94	–	–
4	2009-2010	17454.53	5304.82	

क्र.	वर्ष	दिल्ली के एड–हॉक कैम्पा मे जमा राशि	म.प्र. को प्राप्त राशि	व्यय राशि
5	2010-2011	30261.25	5096.56	3528.09
6	2011-2012	21394.92	5352.09	5277.13
7	2012-2013	36729.81	_	4593.63
8	2013-2014	102735.44	6150.00	5079.04
9	2014-2015	42856.87	8950.00	6197.04
10	2015-2016	22324.14	21300.00	8248.74
11	2016-2017	27344.33	14000.00	20743.36
12	2017-2018	27344.33	20000.00	23481.94
13	2018-2019 (20.12.18)	26896.55	26876.00	13819.74
योग		**405623.32**	**113029.47**	**90968.71**

वैकल्पिक वृक्षारोपण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति की शर्तों के अनुसार कराये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण की स्थिति निम्नुानसार **तालिका क्रमांक 1.27** मे दर्शित है:–

तालिका क्रमांक–1.27

क्र.	मद	रोपण योजनाएं	अवधि	प्रावधानित रोपण		कराया गया रोपण	
				भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)	भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)
1	राजस्व मद	-	1980-2000		-	41586.121	-
2	पी.डी.खाता	49	2002-2005		-	4198.217	
3	कैम्पा मद	-			-	-	-
4	रखरखाव	391	2010-2014		349.85	15524.711	
5	रखरखाव	59	2014-15	154162.722	146.97	5377.192	
6	रखरखाव	69	2014-15		238.52	13882.857	
7	रोपण	71	2015-16		120.71	2988.790	
8	रोपण	12	2016-17		30.99	1034.47	360.20
9	क्षेत्र तैयारी	77	2017-18		57.53	1492.37	
10	एन.वी.डी.ए.	-	-		-	60548.77	-
योग				**154162.722**	-	**146633.498**	-

———

1.4.13 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

- **जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)**

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है।

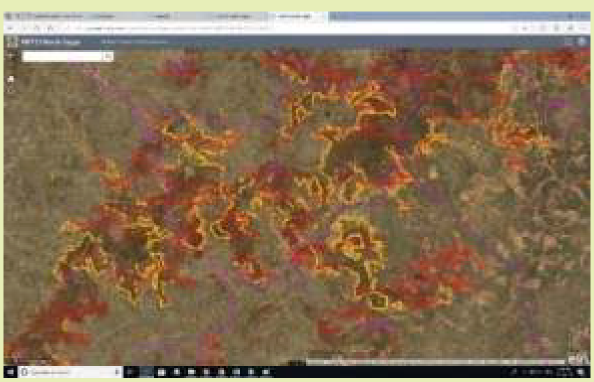

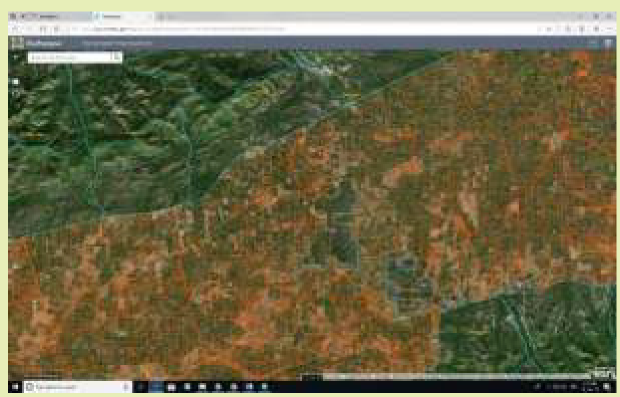

वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। 63 वनमण्डल में से 30 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 33 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।

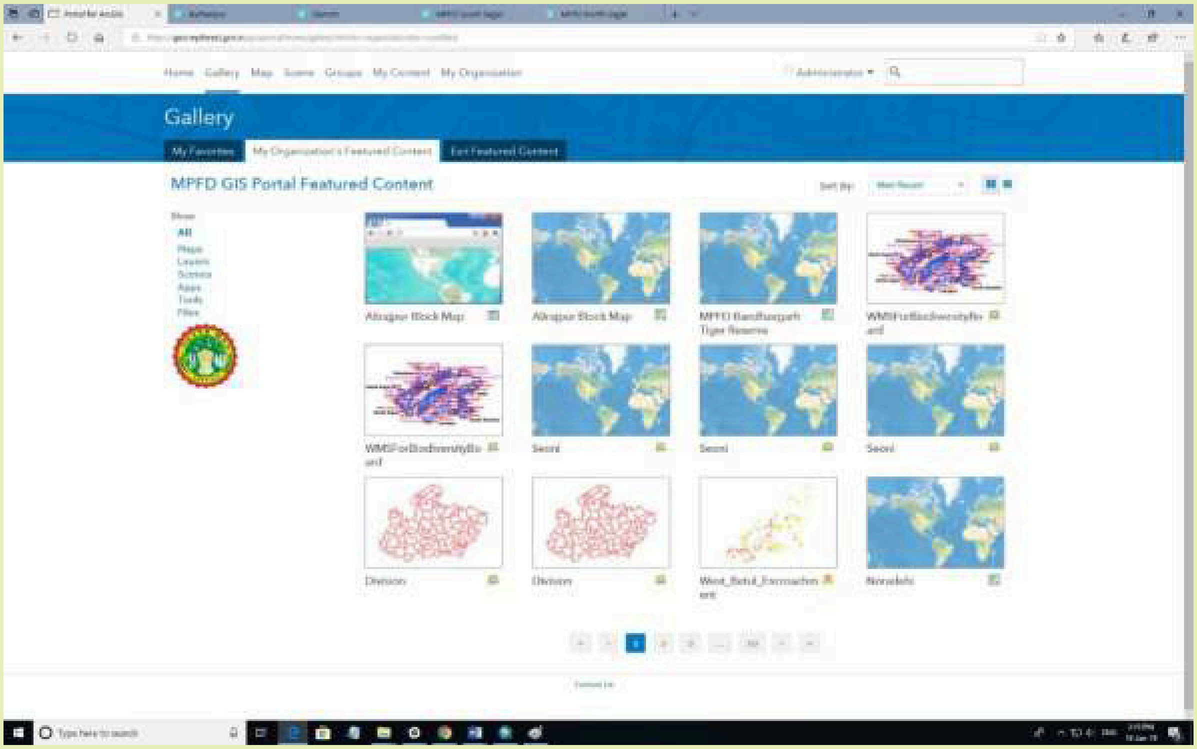

नक्शो की गुणवत्ता सुधार के लिये मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं Survey 123 एवं Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑन–लाईन देखा जा सकता है। इस कार्य हेतु विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Login ID एवं Password प्रदाय किये गये हैं।

- **रिमोट सेंसिंग**

मध्यप्रदेश के वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन आवरण एवं वन घनत्व में होने वाले परिवर्तन एवं वनों की प्रजाति तथा वनों के प्रकार का विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त विश्लेषण हेतु NRSC हैदराबाद से प्राप्त की गई Medium Resolution सेटेलाईट इमेजरी LISS-IV (5.8 Meter) का उपयोग कर NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) के माध्यम से Change Detection कर रिपोर्ट तैयार की गई है। NDWI (Normalized Difference Water Index) के माध्यम से Water masking कर Water Bodies का विश्लेषण भी किया गया है। इसी तारतम्य में उमरिया, उत्तर सागर एवं डिण्डोरी वनमण्डल का विश्लेषण कर मैदानी स्तर पर भू सत्यापन हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। शेष वनमण्डलों में उक्त कार्य किये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है।

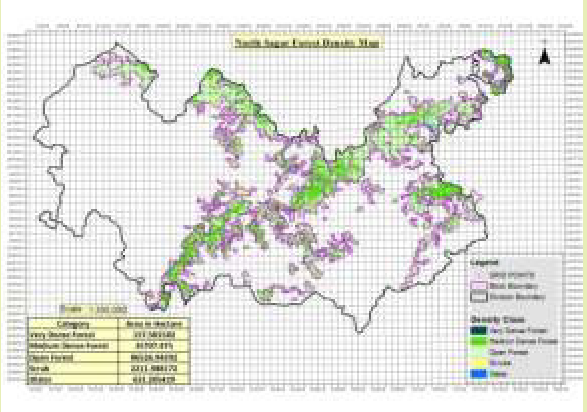

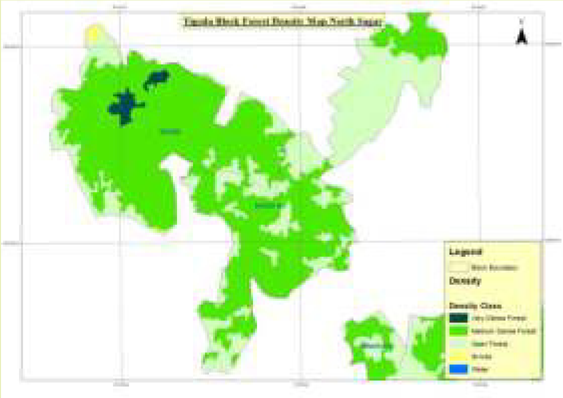

- **विभागीय बेबसाईट का उन्नयन**

विभागीय वेबसाईट में विभागीय अधिनियम, नियम, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, दिशा–निर्देश, आदेश, नीतियाँ, न्यायालयीन प्रकरण एवं योजनाओं का संग्रहण किया गया है। विभागीय उपयोग हेतु वन विभाग की शाखाओं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं वन विद्यालयों की जानकारी भी समाहित की गई है। इसके अतिरिक्त एकल लॉग–इन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशनों का सार्वजनिक एवं विभागीय स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

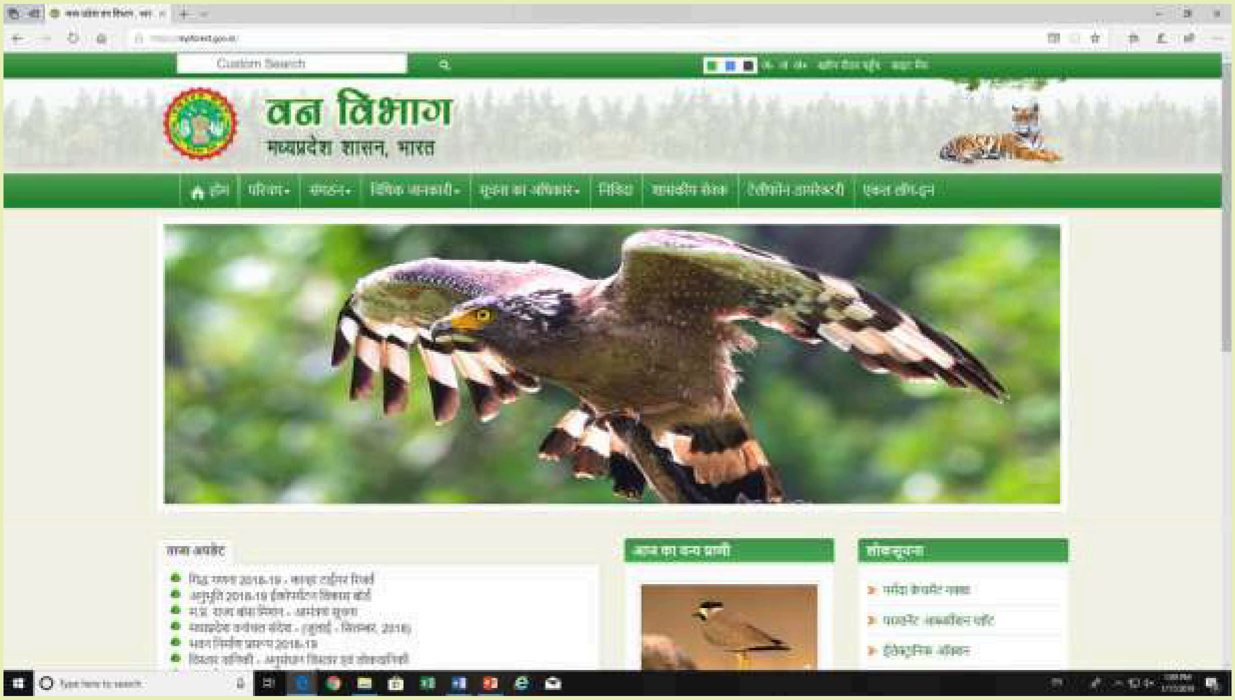

सूचना का अधिकार के तहत वन विभाग की समस्त शाखाओं से जानकारी एकत्र कर विभागीय वेबसाईट पर शाखावार समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की अधिसूचनाओं एवं कार्य आयोजनाओं को वनमण्डलवार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। विभाग द्वारा ओपन सोर्स आधारित कान्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर विभागीय वेबसाईट तैयार कराई जा रही है।

- **मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन**

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन विगत 03 वर्षों से ऑनलाईन लेखन का कार्य सफलता पूर्वक किया गया है। वन विभाग मध्यप्रदेश संवर्ग के राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक लगभग 350 तथा वन क्षेत्रपाल लगभग 500 से अधिक अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन को आनलाईन लेखन हेतु स्पैरो साफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने हेतु राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

गोपनीय प्रतिवेदन स्पैरो सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिखे जाने हेतु सर्वप्रथम अधिकारियों का मूलभूत डेटा एकत्र किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। मूलभूत डेटा एकत्र होने के उपरान्त अधिकारियों के राज्य ई–मेल पॉलिसी अनुसार नाम आधारित ई–मेल एड्रेस सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा जारी किये जायेंगे तथा सम्पूर्ण मूलभूत डेटा को स्पेरो सॉफ्टवेयर में ऑन बोर्डिंग की जायेगी। ऑन बोर्डिंग पूर्ण होने के उपरान्त समस्त अधिकारियों को ऑन–लाईन गोपनीय प्रतिवेदन लेखन हेतु पृथक से प्रशिक्षण दिया जायेगा। तदोपरान्त वर्ष 2018–19 के गोपनीय प्रतिवेदन ऑन–लाईन लिखा जाना प्रस्तावित किया गया है।

- **वन विभाग में ई.–टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक क्रय**

वन विभाग में ई.–प्रोक्योरमेन्ट लागू करने हेतु मध्यप्रदेश शासन ई.–प्रीक्योरमेंट पोर्टल www.mpeproc.gov.in के स्थान पर नवीन पोर्टल mptenders.gov.in द्वारा ऑनलाईन निविदा जारी करने हेतु राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। नवीन पोर्टल पर टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया को विभाग में क्रियान्वयन करने हेतु सर्वप्रथम विभाग का ऑन बोर्डिंग नवीन पोर्टल पर कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। क्षेत्रीय कार्यालयों को नवीन पोर्टल संबंधी यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रदाय किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है जिसमें नवीन पोर्टल में निविदा जारी करने हेतु Class-III with Signing Encryption वाले डिजिटल हस्ताक्षर होना अनिवार्य किया गया है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नवीन डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। तदोपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा यूजर नेम, पासवर्ड दिया जाकर निविदा जारी की जा सकेगी।

भारत सरकार के उपक्रम GeM (Government e-Marketing Plus) https:/gem.gov.in द्वारा क्रय हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग अनुसार यूजर आईडी तथा पासवर्ड जनरेट किये गये। गर्वन्मेनट ई–मार्केट प्लस हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पैमेन्ट अथारटी तथा बायर अथारटी के क्रेडेंशियल्स संबंधित अधिकारी के शासकीय ईमेल तथा आधार एवं मोबाईल नंबर के अनुरुप बनाकर मांग अनुसार ई.मेल तथा एसएमएस के माध्यम प्रदाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में 80 से अधिक यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी किये जा चुके है।

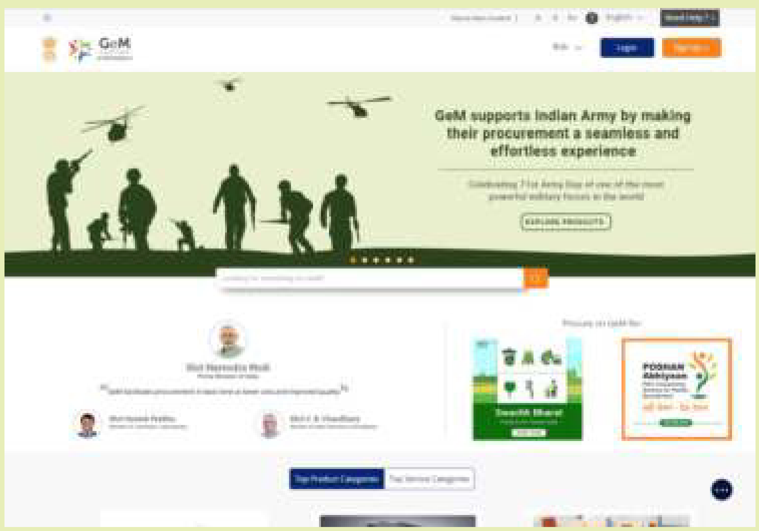

- ## वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित है। वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई थी इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं यह सुविधा वर्तमान में भी उपयोग में लाई जा रही है।

- ## विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन

वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये है :–

- ## फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0

भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बीटगार्ड को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि को नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

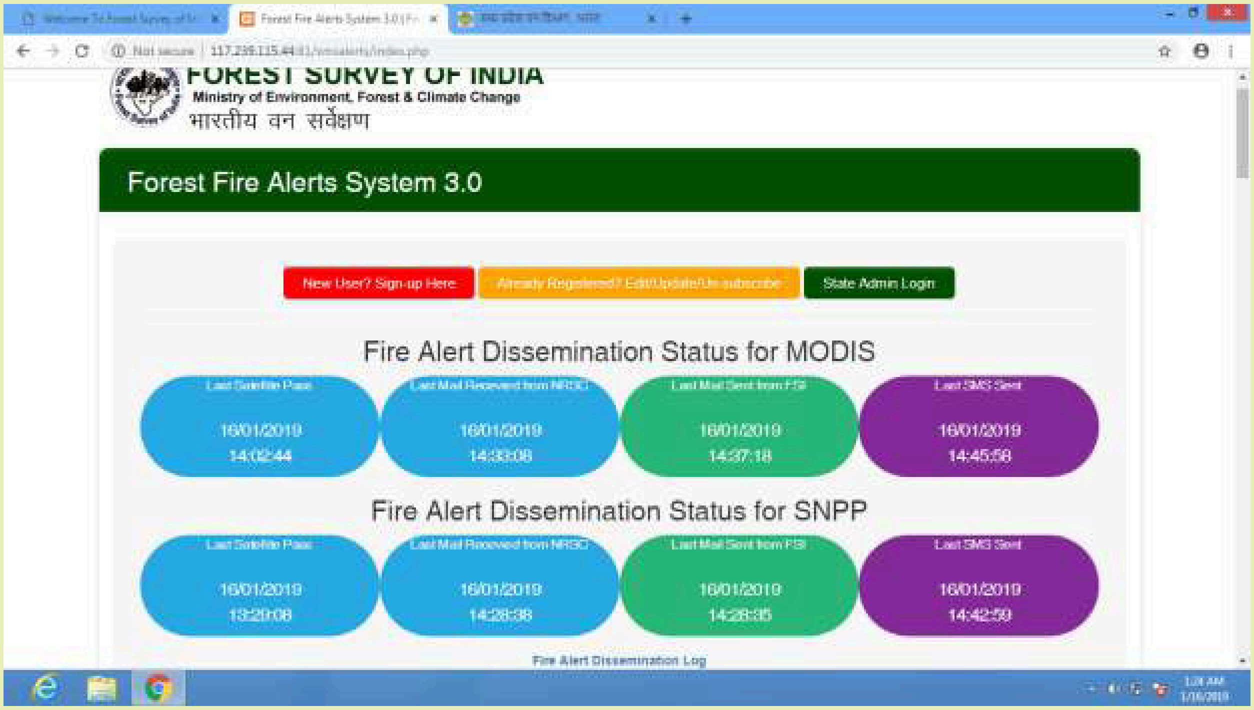

- ## फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)

प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली एवं कालातीत प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

- ## अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली

इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।

इसके प्रथम मॉड्यूल में अधिकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत, शासकीय, पता आदि की जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया, जिसको सभी के द्वारा सराहा गया। जानकारी के अद्यतन सुचारू रूप से प्रारंभ है एवं आज दिनांक तक 13987 अधिकारियों कर्मचारियों के रिकार्ड ऑनलाईन है। जिसको विभिन्न मापदण्डों से देखा जा सकता है।

- ## प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)

इस प्रणाली के द्वारा वृक्षारोपण का पंजीकरण, उनकी वास्तविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डेटाबेस तैयार कर वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जाता है।

- ## रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली

रिसर्च एवं एक्स्टेन्शन के लिए ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाई गई, जिसमें प्रदेश की नर्सरी के स्टाक, निर्वतन एवं ग्रेड उन्नयन से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। जिससे पारदर्शिता आई है एवं नर्सरी के अनुश्रवण से बहुत सहायता प्राप्त हुई है।

- ## स्थाई ऑब्जरवेशन प्लाट

वनों में उपलब्ध वृक्ष प्रजातियों, आयतन में बढ़ोत्री तथा नए वृक्ष की उत्पत्ति को ज्ञात करने तथा वनों की आधारभूत जानकारी एकत्रित करने के लिये उपरोक्त प्लॉट लगाने का कार्य भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में होशंगाबाद, बैतूल, छिन्दवाड़ा एवं सिवनी में ऐसे प्लॉट बनाये गये है। वन विभाग की वेबसाईट पर पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल का डेटा उपलब्ध है।

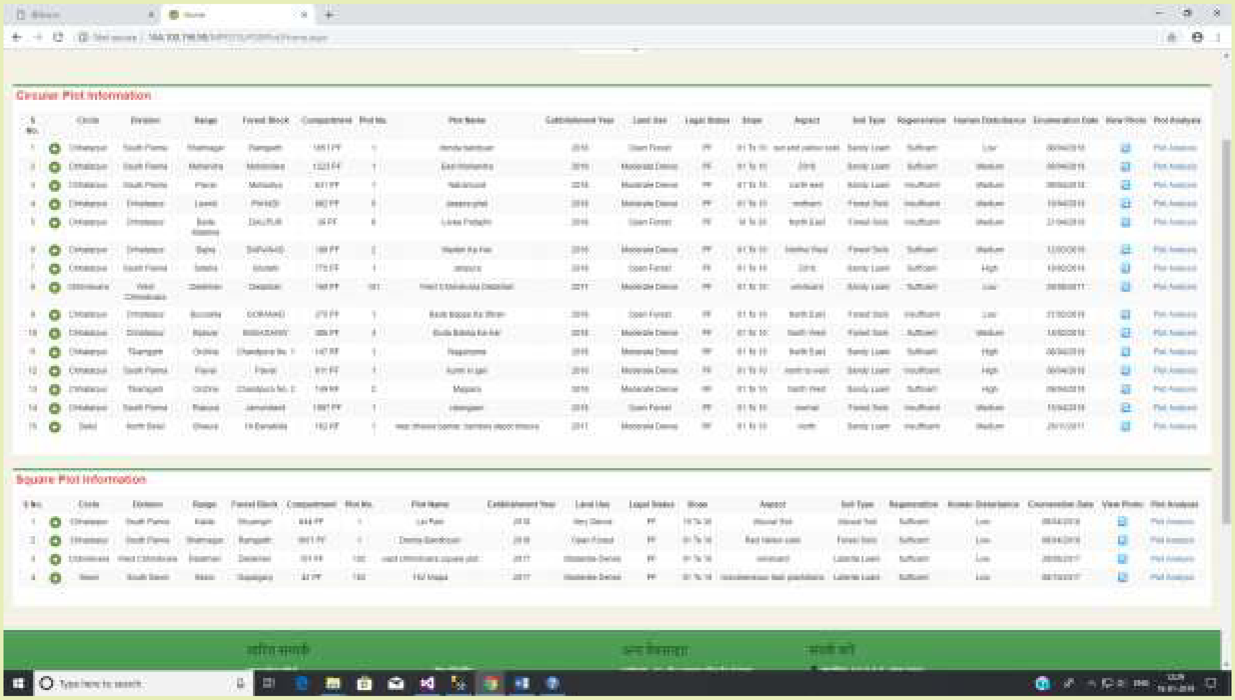

- ## कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता/फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के आनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लाग-इन कर डाउनलोड कर सकते हैं।

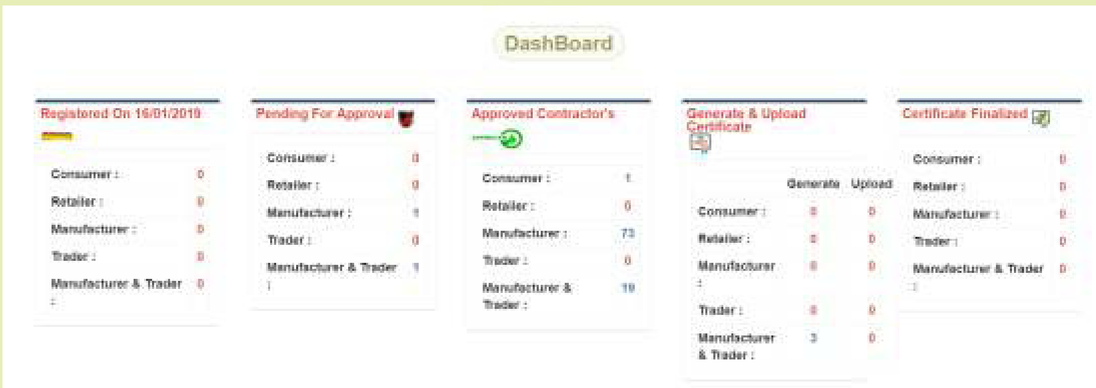

- **डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली**

इस एप्लीकेशन की सहायता से डिपो द्वारा ऑन–लाईन काष्ठ के डिपो रेट की प्रविष्टि, नीलाम दिनांक की प्रविष्टि, काष्ठ का मापन, ग्रेडिंग, स्टेक निर्माण, लाट निर्माण इत्यादि कार्यों को किया जाता है।